उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए रिटर्निंग आफिसर का कार्यालय

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन
की
लोक सूचना

भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उपखंड (iii) दिनांक 4 जुलाई, 2017 में प्रकाशनार्थ

भारत के उपराष्ट्रपति पद भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अत: ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, मैं शमशेर के. शरीफ सूचना देता हूं कि-----

(i) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन पत्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता को कमरा सं. 29, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित हो, तो सहायक रिटर्निंग आफिसर श्री मुकुल पांडे, अपर सचिव या श्री रोहतास, संयुक्त सचिव, राज्य सभा सचिवालय को उक्त कार्यालय में **18 जुलाई, 2017** तक (लोक अवकाश- दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच परिदत्त किए जा सकेंगे;

(ii) हर एक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(iii) हर अभ्यर्थी केवल पन्द्रह हजार रुपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात्कथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;

(iv) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;

(v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा उपरोक्त कार्यालय में कमरा सं. 29, भूतल, संसद भवन, नई दिल्ली में **बुधवार, 19 जुलाई, 2017 को पूर्वाह्न 11 बजे** की जाएगी;

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में **21 जुलाई, 2017 को तीन बजे अपराह्न से पहले** परिदत्त की जा सकेगी;

(vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान इन नियमों के अधीन नियत किये गये मतदान के स्थान में **शनिवार, 5 अगस्त, 2017 को पूर्वाह्न 10 बजे और अपराह्न 5 बजे** के बीच होगा।

नई दिल्ली,
दिनांक 4 जुलाई, 2017

(शमशेर के. शरीफ)
उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए
रिटर्निंग आफिसर
और
महासचिव, राज्य सभा